बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि० / स्था०17–09 / 2022 65 / पटना, दिनांकः– 02.04.2025

कार्यालय आदेश

श्री शंभु शंकर, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शिवहर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक–313 / जि०सां०का० दिनांक–04.06.2022 द्वारा गठित कर भेजे गये आरोप के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०–166 सहपठित ज्ञापांक–1022 दिनांक–14.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), शिवहर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शिवहर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री शंभु शंकर के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गयेः–

(i) आवंटित कार्यों यथा फसल कटनी आयोजन सूची, प्रक्षेत्र मूल्य का संकलन, सामान्य जिंसवार एवं द्रुत जिंसवार प्रतिवेदन का संकलन, वर्षापात संकलन प्रतिवेदन, जीवनांक सांख्यिकी प्रतिवेदन, विविध सांख्यिकी एवं गणना से संबंधित कार्यो का निष्पादन इनके द्वारा नहीं किया गया, जो वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना है।

(ii) बिना अनुमति के कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहना इनकी स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही का द्योतक है।

आरोप पत्र के तृतीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन में निम्न आरोप गठित किये गयेः–

(i) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक–562 दिनांक–20.09.2021 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव इनके द्वारा संतोषजनक नहीं दिया गया है। दिनांक–07.09.2021 से 14.09.2021 तक टायफाइड से पीड़ित होने की बात कही गई है, लेकिन उससे संबंधित कोई चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही कार्यालय पत्रांक–628 दिनांक–27.01.2021 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव आज के समयावधि में भी इनके द्वारा नहीं दिया गया।

(ii) पुनः श्री शंभु शंकर, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, शिवहर के द्वारा दिनांक–18.11.2021 को हाथ टूटने से संबंधित एक आवेदन दिया गया है जिसमें दिनांक–19.11.2021 से चिकित्सा अवकाश की मांग की गई है। वे उक्त तिथि से आज तक अनुपस्थित हैं। साथ ही इससे संबंधित कोई भी चिकित्सीय प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

उक्त आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के पत्रांक–1215 दिनांक–07.07.2022 द्वारा श्री शंकर से अभ्यावेदन की मांग किये जाने हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शिवहर द्वारा पत्र का तामिला कराया जाना, दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक भाष्कर में दिनांक–11.05.2023 को प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन कराये जाने के बावजूद श्री शंकर से अभ्यावेदन अबतक अप्राप्त है। उक्त से स्पष्ट है कि श्री शंभु शंकर इस मामले में अपना अभ्यावेदन नहीं देना चाहते हैं एवं अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

2. श्री शंभु शंकर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, शिवहर के पत्रांक–823 / रा० दिनांक–30.04.2024 के साथ संलग्न कर भेजे गये संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न मंतव्य दिया है :–

आरोपित पदाधिकारी द्वारा कार्यालय से अनुपस्थित रहने एवं मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति नहीं ली गई और न ही नियमानुसार कार्यालय प्रधान को सूचना दी गई। आरोपित पदाधिकारी द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के पत्रांक–628 दिनांक–27.10.2021 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देना, अनुमति प्राप्त किये बिना कार्यालय से अनुपस्थित रहना एवं निदेशालय द्वारा मांग की गयी अभ्यावेदन उपलब्ध नहीं कराना बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध है।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, शिवहर के पत्रांक–1285/रा० दिनांक–01.07.2024 द्वारा भेजे गये पत्र में संचालन पदाधिकारी ने उल्लेख किया है कि "श्री शंभु शंकर, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला–शिवहर के विरूद्ध संचालित की गयी कार्यवाही में आरोप सं०–1 एवं 2 प्रमाणित पाया गया है। श्री शंभु शंकर से संचालन प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक–1165 दिनांक–22.08.2024 द्वारा माँगा गया अभ्यावेदन अप्राप्त रहा।

4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक–761 दिनांक–13.12.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि 'श्री शंभु शंकर, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शिवहर दिनांक–19.11.2021 से अबतक बिना अवकाश स्वीकृत कराये लगातार अनुपस्थित हैं। श्री शंभु शंकर ने अबतक कार्यालय में अपना योगदान नहीं दिया है'।

उल्लेखनीय है कि श्री शंभु शंकर पर पूर्व में अन्य दो मामले में दण्ड अधिरोपित किया गया है जो निम्नवत् है :–

(i) संचिका सं०–स्था01/आ०2–11/2016 में निदेशालय के का०आ०सं०–196 सहपठित ज्ञापांक–1038 दिनांक–13.06.2022 द्वारा संचयी प्रभाव के साथ 05(पाँच) वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

(ii) संचिका सं०–अ०सा०नि०/स्था017–15/2020 में निदेशालय का०आ०सं०–203 सहपठित ज्ञापांक–1227 दिनांक–14.07.2023 द्वारा निन्दन की शास्ति अधिरोपित किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि श्री शंभु शंकर पूर्व से ही अपने कार्य के प्रति लापरवाह, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते रहना आदतन प्रवृत हैं एवं सरकारी सेवा करने में इनकी अभिरूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में इनका सेवा में बने रहना सरकारी हित में नहीं है। श्री शंकर दिनांक–30.06.2027 को वार्धक्य सेवानिवृत होने वाले हैं।

वर्णित तथ्यों एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए श्री शंभु शंकर, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शिवहर पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 का नियम–14(ix) के तहत **आदेश निर्गत की तिथि से अनिवार्य सेवानिवृति करने संबंधी दंड** अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(डॉ० विद्या नन्द सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक:–अ०सां०नि०/स्था०17–09/2022 559 /पटना, दिनांक:– 02.04.2025

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, शिवहर का पत्रांक–313/जि०सां०का० दिनांक–04.06.2022 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

3. उप निदेशक(सांख्यिकी), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. कोषागार पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री शंभु शंकर, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/25

निदेशक